न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 225/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
खम्माराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी खेडा बागोडिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– मगी पुत्री चोखाराम जाति जाट निवासी खेडा बागोडिया तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 2– सरपंच ग्राम पंचायत मंडलाकलां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–7–2017 जो अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 63/2013 अनवान मगी बनाम ग्राम पंचायत मंडलाकलां मे पारित किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 226/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
खम्माराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी खेडा बागोडिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– मगी पुत्री चोखाराम जाति जाट निवासी खेडा बागोडिया तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 2– नायब तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–7–2017 जो अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 62/2013 अनवान मगी बनाम खम्माराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः– (उक्त दोनो अपीलो मे)

1– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18–4–2019

उक्त दोनो अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा उनके न्यायालय की क्रमशः अपील संख्या 63/2017 एवं 62/2017 मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 13–7–2017 के विरूद्ध अपीलांट खम्माराम ने पेश की है, जिसमे अपीलाधीन भूमि एवं कानूनी बिन्दु एक समान निहित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनो अपीलो को एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है । दोनो अपील पत्रावलियो मे निर्णय की एक–एक मूल प्रति नत्थी की जाये ।

अपील संख्या 225/2017 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेडा बागोडिया तहसील फलोदी के खसरा नंबर 51, खसरा नंबर 69, खसरा नंबर 92 तथा खसरा नंबर 68 कुल 4 खसरान की 103.07 बीघा भूमि का खातेदार चोखा पुत्र लाला

कौम जाट सा. देह था । उक्त खातेदार चोखा के फोत होने पर उक्त भूमि बाबत विरासत का नामांतरकरण संख्या 18 उसकी पत्नी टुगी बेवा चोखा कौम जाट के नाम भरकर पटवारी हल्का ने पेश किया, जिसे निरीक्षक भू अभिलेख फलोदी की जांच के बाद सरपंच ग्राम पंचायत मण्डलाकंला द्वारा दिनांक 1–9–71 को स्वीकृत किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 18 के विरूद्ध वर्तमान अपील संख्या 225/2017 की रेस्पो0 संख्या 1 मगी पुत्री चोखाराम जाट ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रथम अपील संख्या 63/2013 पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 18 ग्राम खेडा बागोडिया को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लोहावट को दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृतक खातेदार चौखाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नवीन नामांतरकरण स्वीकृत करने के निर्देश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अपील संख्या 63/2013 मे पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील संख्या 225/2017 अपीलांट खम्माराम ने इस न्यायालय मे पेश की है ।

अपील संख्या 226/2017 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेडा बागोडिया स्थित खसरा नंबरान 51, 69, 92 तथा 68 की कुल 103.07 बीघा भूमि की खातेदार टुगी बेवा चोखा जाति जाट सा. देह ने उक्त खसरा नंबरान मे से खसरा नंबर 69 की 76.18 बीघा भूमि के संबंध मे एक पंजीकृत वसीयतनामा खमाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट सा. देह (वर्तमान अपीलांट) के पक्ष मे मे निष्पादित किया था तथा उक्त खातेदार टुगी के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि बाबत नामांतरकरण संख्या 134 जो कि विरासत/वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर ग्राम पंचायत मंडलाकलां के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका निर्णय ग्राम पंचायत मंडलाकलां करने मे असफल रहने पर उक्त म्युटेशन को नायब तहसीलदार फलोदी द्वारा दिनांक 23–11–2012 को स्वीकृत किया । उक्त म्युटेशन संख्या 134 के विरूद्ध वर्तमान अपील संख्या 226/17 की रेस्पो0 संख्या 1 मगी पुत्री चोखाराम जाट ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रथम अपील संख्या 62/2013 पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 134 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लोहावट को दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृत खातेदार चोखाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच कर पंजीकृत वसीयतनामा के परिपेक्ष्य मे नियमानुसार नामांतरकरण स्वीकृत करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील खम्माराम पुत्र लाधूराम ने इस न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 226/2017 प्रस्तुत की है ।

अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 मगी ने वर्ष 1971 को स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 18 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे वर्ष 2013 मे लगभग 42 वर्ष विलंब से तथा अन्य वर्ष 2012 मे स्वीकृत म्युटेशन संख्या 134 के विरूद्ध वर्ष 2013 मे विलंब से अपीले पेश की तथा अधीनस्थ न्यायालय मे 42 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के

प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने इस तथ्य को तो स्वीकार किया कि रेस्पो0 संख्या 1 मगी मृतक खातेदार चोखाराम की जायंदा पुत्री है परंतु अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि 42 वर्ष पूर्व स्वीकृत म्युटेशन के विरूद्ध म्युटेशन अपील के जरिये अधिकारो का निर्धारण संभव नही है क्योकि नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 यदि अपीलाधीन भूमि मे मृतक की पुत्री होने तथा प्रथम श्रेणी की वारिस होने की हैसियत से अपने अधिकार होना मानती है तो उसे इतने समय बाद सक्षम न्यायालय मे रेगुलर सूट पेश करना चाहिये जिसके द्वारा अधिकारो की घोषणा संभव है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को ध्यान मे रखे बिना ही 42 वर्ष पूर्व स्वीकृत म्युटेशन को निरस्त करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की खातेदार टुगी बेवा चोखा कौम जाट ने अपीलाधीन भूमि मे से खसरा नंबर 69 की भूमि के संबंध मे एक पंजीकृत वसीयतनामा वर्तमान अपीलांट खम्माराम के पक्ष मे निष्पादित किया था जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 134 स्वीकृत किया गया था तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे पंजीबद्ध बेचान के दस्तावेज के अस्तित्व मे रहते अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन संख्या 134 को निरस्त करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि पंजीबद्ध दस्तावेज को केवल सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है परंतु रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत को निरस्त करवाने बाबत कोई कार्यवाही नही की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जो राजस्व न्यायालय है, ने सिविल न्यायालय के अधिकारो का प्रयोग करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जब एक म्युटेशन स्वीकृत होने के बाद दुसरा म्युटेशन स्वीकृत हो जाता है तो पहला म्युटेशन दूसरे म्युटेशन मे स्वतः ही मर्ज हो जाता है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने 42 वर्ष विलंब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे केवल ग्राम पंचायत को ही पक्षकार बनाया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त दोनो अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन दोनो निर्णयो को निरस्त करने तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 18 एवं 134 को बहाल रखने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा

निगरानी एल.आर/6264/15/जैसलमेर अनवान केशाराम बनाम चनणी वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 8–2–17 की छायाप्रति पेश की ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा न्यायालय का ध्यान म्युटेशन संख्या 18 की ओर दिलाते हुए कथन किया कि उक्त म्युटेशन मे वर्णित भूमि का एकमात्र खातेदार चोखा था तथा उक्त खातेदार चोखा के फोत होने पर उक्त म्युटेशन केवल मृतक की पत्नी टुगी के नाम स्वीकृत कर दिया गया तथा उक्त म्युटेशन संख्या 18 के कॉलम संख्या 14 मे इस प्रकार उल्लेख है "चोखा फोत हो चुका है, उसकी जायंदा वारिश उसकी औरत होगी, उसके कोई लडका नही है" इस संबंध मे रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त म्युटेशन विरासत का म्युटेशन था तो म्युटेशन स्वीकृत करने से पहले मृतक खातेदार के वारिसान की जांच की जानी चाहिये थी तथा रेस्पो0 संख्या 1 मगी जो कि मृतक खातेदार चोखा की पुत्री है, इस बात को अपीलांट भी स्वीकार करते है तो मगी मृतक की प्रथम श्रेणी की वारिस जीवित होते हुए उसका नाम उक्त म्युटेशन संख्या 18 मे दर्ज किये बिना ग्राम पंचायत मण्डलाकलां द्वारा वर्ष 1971 मे स्वीकृत कर दिया, जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था तथा ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 18 की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को जैसे ही हुई अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की म्युटेशन संख्या 18 के संबंध मे प्रस्तुत उक्त द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि मयाद के बिन्दु को जब अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित करते हुए अपील को अंदर सुमार मान लिया था तो अब इस अपीलेट कोर्ट मे पुनः इस बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया जा सकता इसलिए मयाद के बिन्दु पर अपीलांट का किया गया कथन इस स्तर पर चलने योग्य नही है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि म्युटेशन संख्या 18 जो सक्सेशन का म्युटेशन है जिसे केवल सक्सेसर द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है । वर्तमान मामले मे मृतक चोखा के दो वारिस ही थे एक पत्नी टुगी, जिसके नाम म्युटेशन स्वीकृत हुआ तथा अन्य वारिस मे पुत्री वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 मगी । ऐसे मे अन्य को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही होने से केवल ग्राम पंचायत को ही पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने से अपीलांट की पक्षकार बाबत आपत्ति निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट को म्युटेशन संख्या 18 के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है क्योंकि वह म्युटेशन संख्या 18 मे पक्षकार नही था तथा अपील केवल पक्षकार द्वारा ही की जा सकती है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट ने उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत कोई प्रार्थना पत्र इस अपील के साथ पेश नही किया है इसलिए म्युटेशन संख्या 18 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील संख्या 225/2017 केवल इसी आधार पर खारीज योग्य है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी उक्त बहस के समर्थन मे

आर.आर.डी.1993 पेज 232 एवं आर.आर.डी.1993 पेज 44 की निर्णय नजीरें पेश की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 134 के संबंध मे कथन किया कि उक्त म्युटेशन विरासत एवं वसीयत दोनो का शामिल स्वीकृत हुआ है जिसमे खातेदार टुगी पत्नी चोखा द्वारा खसरा नंबर 69 की 76.18 बीघा भूमि अपीलांट के पक्ष मे वसीयत की जाने के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि खसरा नंबर 69 की भूमि खातेदार टुगी को उसके पति से विरासत मे म्युटेशन संख्या 18 के जरिये प्राप्त हुई थी न कि उसकी स्वअर्जित सम्पति थी इसलिए टुगी को उक्त खसरा नंबर 69 की 76.18 बीघा भूमि मे से अधिकतम उसके 1/2 हिस्से की भूमि बाबत ही वसीयत करने का अधिकार था जबकि उक्त खसरा नंबर 69 की सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष मे कर दी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 134 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील पर पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट की उक्त दोनो अपीलों को खारीज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनो अपीलो मे पारित निर्णय विधिसम्मत होने से उसे बहाल रखने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रिबेटल बहस मे रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता की बहस के जवाब मे कथन किया कि न्यायालय मे एक बार अपील ग्राह्य हो जाती है तो यही माना जायेगा कि अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है इसलिए म्युटेशन संख्या 18 के विरूद्ध मेरे द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश नही करने से अपील खारीज नही हो सकती है ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विरासत का म्युटेशन संख्या 18 जो वर्ष 1971 मे स्वीकृत हुआ उसके विरूद्ध माता के जीवित रहते अपील क्यो नही की । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि स्वअर्जित या पैतृक होने बाबत कोई फाईंडिंग अपीलाधीन निर्णय मे नही दी है तथा यह भी कथन किया कि लिमिटेशन के बिन्दु को प्रकरण के गुणावगुण से पहले देखना अनिवार्य है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोनो निर्णयो को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रथम अपीलो मे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 का अध्ययन किया एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 18 एवं 134 मौजा खेडा बागोडियां का तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अपीलांट के पक्ष मे मृतक टुगी बेवा चोखा द्वारा निष्पादित वसीयत के दस्तावेज का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अपीलाधीन भूमि ग्राम खेडा बागोडिया तहसील फलोदी के खसरा नंबरान 51, 69, 92 तथा 68 कुल 4 खसरान की 103.07 बीघा भूमि का खातेदार चोखा पुत्र लाला कौम जाट सा. देह था, जो वर्तमान दोनो अपीलो की रेस्पो0 संख्या 1 मगी का पिता था ।

उक्त खातेदार चोखा के फोत होने पर उपरोक्त खसरान की भूमि बाबत विरासत का नामांतरकरण संख्या 18 मृतक चोखा की पत्नी टुगी बेवा चोखा कौम जाट के नाम भरकर पटवारी हल्का ने म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 मे यह उल्लेख करते हुए पेश किया कि "चोखा फोत हो चुका है, उसकी जायदाद का वारीस उसकी औरत होगी उसके कोई लडका नही है" उक्त म्युटेशन संख्या 18 को सरपंच ग्राम पंचायत मण्डलाकंला द्वारा बिना वारिसान की जांच के दिनांक 1–9–71 को स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही था क्योकि तत्समय हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार मृतक चोखा की प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्री मगी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 जीवित थी जिसका भी उसके पिता के खातेदारी की भूमि मे मृतक की पत्नी के बराबर का हिस्सा होते हुए उसे वंचित रखा गया ।

उक्त म्युटेशन संख्या 18 के विरूद्ध मृतक खातेदार चोखा की पुत्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 63/2013 मे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 18 ग्राम खेडा बागोडिया को निरस्त करते हुए प्रकरण को तहसीलदार लोहावट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि मृतक खातेदार चोखाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नवीन म्युटेशन स्वीकृत करे, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

इसी प्रकार अपीलाधीन 4 खसरान की कुल 103.07 बीघा भूमि जो फोतेदगी म्युटेशन संख्या 18 के जरिये पूर्व खातेदार चोखाराम की पत्नी टुगी बेवा चोखाराम कोम जाट के नाम दर्ज हुई थी, उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 69 की सम्पूर्ण 76.18 बीघा भूमि के संबंध मे खातेदार टुगी बेवा चोखाराम ने एक पंजीबद्ध वसीयत विलेंख वर्तमान अपीलांट खम्माराम के पक्ष मे दिनांक 6–2–96 को निष्पादित कर दिया तथा उसके पश्चात उक्त खातेदार टुगी के फोत होने पर उपरोक्त चारो खसरान की भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 134 जो विरासत/ वसीयत का पटवारी हल्का ने भरकर पेश किया जिसे नायब तहसीलदार फलोदी द्वारा स्वीकृत कर दिये जाने पर उक्त म्युटेशन संख्या 134 के विरूद्ध भी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 मगी पुत्री चोखा ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील संख्या 62/2013 प्रस्तुत की । जिसमे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2017 मे अधीनस्थ न्यायालय यह स्पष्ट विवेचन दिया है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे स्वीकृत म्युटेशन संख्या 18 को निरस्त कर दिया है जिसमे उल्लेखित खसरा नंबर 69 रकबा 76.18 बीघा भूमि के संबंध मे वसीयत के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 134 विधि अनुकुल नही होने से उसे भी निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लोहावट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृत खातेदार चोखाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, पंजीबद्ध वसीयतनामे के परिपेक्ष्य मे नवीन म्युटेशन स्वीकृत करें ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोनो निर्णयो मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे

दोनो पक्षो को तहसीलदार के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर दिया हुआ है तथा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत के दस्तावेज के परीक्षण उपरांत नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही के निर्देश दिये है, अतः उभय पक्षकारान तहसीलदार लोहावट के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीलें सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा अपील संख्या 62/2017 एवं 63/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 13–7–2017 यथावत रखे जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 18–4–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर